न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बबराणा तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 152/11 राजस्व वाद

उनवान

1., धन्ना लाल पिता रामा बैरवा, निवासी गाडरी खेडा, प0 रीछडा तहसील व जिला भीलवाडा। (वादीगण)

बनाम

1. लादी पुत्री भेरू पत्नि बालू बैरवा हाल निवासी मीणा का खेडा, ढीकोला तह0 शाहपुरा जिला भीलवाडा।
2. काली पुत्री भेरू पत्नि भंवर बैरवा निवासी हाल बैरवा मोहल्ला, बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. कल्याण पिता देवबक्ष चमार निवासी बबराणा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, व 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –
1. श्री के0के0 जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक – 12.05.2017

राजस्व लोक अदाल केम्प मुकाम बबराणा में वादी की और से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार जीनगर व प्रतिवादीगण कम 1, 2 उपस्थित। उक्त वाद को अन्तिम डिक्री हेतू विभाजन प्रस्ताव सहमति से तैयार किये गये प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की है। उभय पक्षकारान की सहमति से तैयार प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत आपसी राजीनामें से आंशिक रूप से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के इस प्रकार जारी की जाती हैं कि माफिक विभाजन प्रस्ताव में वादग्रस्त आराजीयात राजस्व जमाबन्दी संवत 2070–73 में खतौनी संख्या 484 के आराजी संख्या 1043, 1050, 1592, 1593, 1595 कुल किता 5 कुल रकबा 04–04 बीघा को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03 के मध्य बशामलात सयुंक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड से यथावत रखते हुए तथा ग्राम प0ह0 बबराणा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र वृत महुआखुर्द तहसील बनेड़ा के खतौनी संख्या 486 के आराजी संख्या1563, 1564, 1594 में वादी का हक हिस्सा 1/2 अनुसार रकबा 2–00 बीघा पृथक से तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 बशामलात रखते हुए वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:–

1. धन्नालाल पिता रामा बैरवा निवासी गाडरी खेडा प0 रीछडा तहसील व जिला भीलवाड़ा

आ0न0	रकबा
1563	0.18 बीघा
1564	1.02 बीघा
कुल 2	**रकबा 2–00 बीघा**

कमश....2

2. लादी,काली पुत्री भैरू चमार सा0देह1/2 सा0 गाडरी खेडा प0 रीछडा तहसील व जिला–भीलवाडा सा0देह खातेदार

आ0न0	रकवा
1594	1.03 बीघा
1563	0.17 बीघा
कुल 02	**रकबा 2–00 बीघा**

उक्तानुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 12.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बबराणा में मेरे–हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा